न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर(कैम्प कोर्ट गुसाईसर बडा)

मुकदमा नम्बर 37/2020 निर्णय दिनांक:21.10.2021

ऑनलाईन नम्बर 2020/00085

विष्णु कुमार पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्मण निवासी गुंसाईसर बडा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर —प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ —अप्रार्थी—

उपस्थितिः—
1. कैलाश सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम।

यह प्रार्थना पत्र विष्णु कुमार ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी गांव गुसाईसर बडा तहसील श्रीडूंगरगढ का निवासी है जिसका सही नाम विष्णु कुमार पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण है तथा प्रार्थी का विष्णु कुमार नाम ही शैक्षिणिक दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों मे दर्ज है तथा प्रार्थी का बोलता नाम विष्णुदत है एवं इसी नाम से गांव वाले पुकारते है। प्रार्थी मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो राजस्थान से बाहर निवास करता है। यह है कि प्रार्थी के पिता सोहनलाल पुत्र हजारीराम जाति ब्राह्मण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 113 रकबा 8.5800 हैक्टेयर रोही ग्राम गुसाईंसर बडा तहसील श्रीडूगरगढ में स्थित है। प्रार्थी के पिता सोहनलाल का देहान्त हो जाने के बाद जेर प्रार्थना पत्र खेत खसरा नंबर 113 का विरासत ईन्तकाल संख्या 127 दिनांक 20.05.2010 को दर्ज किया गया उक्त ईन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम विष्णु कुमार के स्थान पर बोलता नाम विष्णुदत ग्रामवसियो के बताये अनुसार पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर दिया गया तो गलत दर्ज कर दिया गया । प्रार्थी का वास्तविक नाम सभी दस्तावेजो में विष्णुकुमार दर्ज चला आ रहा है। यह है कि राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने कि जानकारी प्रथम बार प्रार्थी का तब हुई जब प्रार्थी ने अपने हिस्सा कि कृषि भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु अपने दस्तावेज बैक में पेश किये तो बैक वालो ने वतया कि राजस्व रिकार्ड में आपका नाम विष्णुकुमार नही होकर विष्णुदत है इसलिए नाम ही दर्ज करवाओ। यह है कि बैक कि इनक्वायरी के बाद प्रार्थी ने अपने कृषि भूमि क राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवायी तो पता चला कि विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय भूलवश पटवारी हल्का द्वारा ग्रामीणो के बताये अनुसार प्रार्थी का नाम विष्णु कुमार के स्थान पर विष्णुदत दर्ज कर दिया यह है कि भूलवंश हुई लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ से संपर्क कर नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर कि कार्यवाही मानते हुये सक्षम न्यायालय से राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। यह है कि प्रार्थना पत्र रोही ग्राम गुसाईसर तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

श्रीडूंगरगढ का होने से श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। यह है कि प्रार्थना पत्र तहसीलदार के इन्कारी के अन्दर मियाद एवं न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि जैरकार खेत खसरा नंबर 113 रकबा 8.5800 हैक्टेयर रोही ग्राम गुसाईसर बडा में दर्ज प्रार्थी का नाम विष्णुदत पुत्र सोहनलाल के स्थान पर विष्णु कुमार पुत्र सोहनलाल दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ को प्रदान करे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। स्टेट का प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता हैं।

आदेश

खेत खसरा नंबर 113 रकबा 8.5800 हैक्टेयर रोही ग्राम गुसाईसर बडा में दर्ज प्रार्थी का नाम विष्णुदत पुत्र सोहनलाल के स्थान पर विष्णु कुमार पुत्र सोहनलाल शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 21.10.2021 को कैम्प कोर्ट गुंसाईसर बड़ा में मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमीलपूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:06 IST
Reason: SelfAttested